न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **188/16 (वाद)**

GCMS No. : 2016/00281

1. जेता पिता धन्नाजी जाति डांगी आयु 50 वर्ष निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

............वादीया

बनाम

1. मांगीलाल पिता रूपाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. खरता पिता रूपाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर ((राज०)
3. श्रीमती सोवनी बेवा रूपाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. गोपा पिता उदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. दुदा पिता सखाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. भंवरलाल पिता देवाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती वरदी पत्नी देवाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती देउ पुत्री देवाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
9. श्रीमती कमला पुत्री देवाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. भेरा पिता मोतीजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. रूपा पिता जगाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. कालू पिता जगाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
13. पेमा पिता जगाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
14. लोगर पिता वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
15. श्रीमती रूकमा पुत्री वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
16. श्रीमती मोवनी पुत्री वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

17. श्रीमती भगी पुत्री वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील (मावली जिला उदयपुर (राज०)
18. श्रीमती गंगा पत्नी वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
19. खेमराज पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
20. हुक्मीचन्द पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
21. छगनलाल पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
22. दीपलाल पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
23. लहरीलाल पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
24. श्रीमती रोड़ीबाई पत्नी कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
25. श्रीमती धापू पत्नी नानाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
26. रामा पिता कन्नाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
27. अमरचन्द पिता कन्नाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
28. हेमराज पिता कन्नाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील – मावली जिला उदयपुर (राज०)
29. श्रीमती कुकी पुत्री कन्नाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
30. नाना पिता तारूजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली उदयपुर (राज०)
31. श्रीमती भूरीबाई पत्नी नानाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया न मावली जिला उदयपुर (राज०)
32. तहसीलदार, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
33. पटवारी, पटवार हल्का बड़ियार तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
34. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मावली जिला उदयपुर (राज०)
35. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता वादीया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 31.07.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रेडिया खेड़ी पटवार सर्कल बांसलिया तहसील मावली में पक्षकारान की कृषि भूमि स्थित है जिसके वर्तमान खेत खसरा न० 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 100, 101, 102, 103 कुल किता तेरह कुल रकबा सोलह बीघा ग्यारह बिस्वा, आराजी न० 96 रकबा तीन बिस्वा, आराजी न० 78 रकबा तीन बिस्वा, आ०चाह, आराजी न० 53 रकबा दो बिस्वा, आराजी न० 61 रकबा तीन बिस्वा, आराजी न० 60, 62 किता दो रकबा पांच बिस्वा, इसी प्रकार गांव बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया में खसरा न० 999, 1001, 1002, 1006, 1023, 1075, 1076, 1093, 1113, 1144, 1184, 1191, 1195, 1199, 1250, 1269, 1300, 1308, 1310, 1322, 1323 कुल किता इक्कीस कुल रकबा चौदह बीघा सात बिस्वा, आराजी न0 1190 रकबा चार बिस्वा, आ०चाह, एवं आराजी न0 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372 कुल किता पन्द्रह कुल रकबा छब्बीस बीघा दस बिस्वा है ।
2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

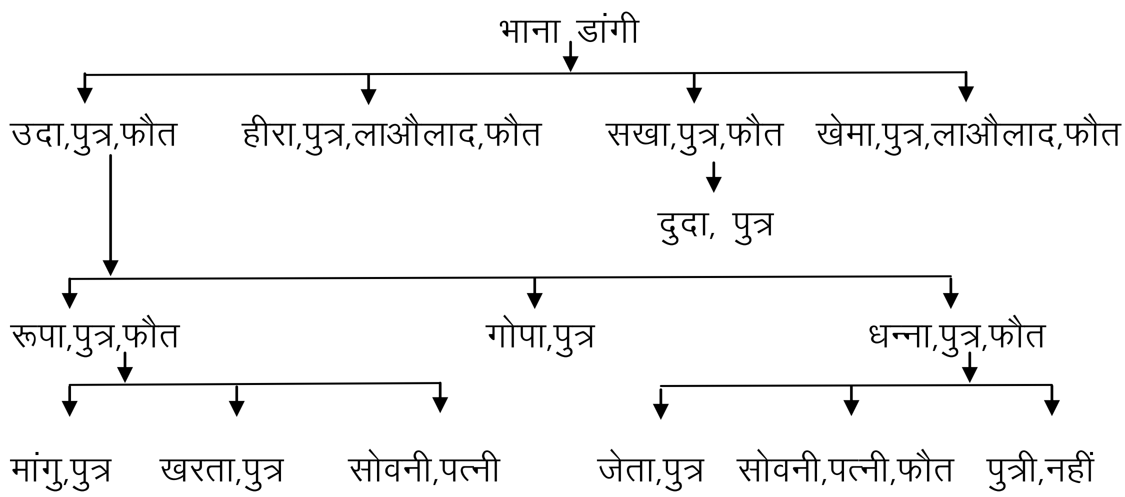

3. यह कि उक्त वर्णित जमीन मौरूसी है। स्व० हीराजी लाऔलाद फौत हो गये, उनकी पत्नी भी फौत हो गयी, उनकी सेवा चाकरी वादी ने की जिससे प्रसन्न होकर उन्होने वसीयतनामा उनके हिस्से की जमीन का मुझ वादी के पक्ष में दिनाक 16–7–1998 को संम्पादित किया। जरिये वसीयत स्व० हीराजी पिता भानाजी ने उनकी समस्त चल अचल सम्पति वादी के नाम कर [illegible] स्व० हीराजी के स्वर्गवास के बाद हीराजी के हिस्से की जमीन जरिए म्यूटिशन संख्या 302 से रूपा, गोपा पिता उदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

जेता पिता धन्ना के नाम खोल जमीन दर्ज कर दी जब कि हीराजी की समस्त जमीन मुझ वादी जेता अकेले के नाम वसीयत के आधार पर दर्ज होनी चाहिए थी। म्यूटेशन से जानकारी हुई तो तुरन्त नकल प्राप्त की प्रतिवादी संख्या एक से पांच के नाम जमीन दर्ज हो गयी है वह गलत दर्ज की गई है। म्यूटेशन वादी के मुकाबला मे शुन्य व बेअसर है सौ निरस्त किया जावे एवं हीराजी की जमीन म्यूटेशन से प्रतिवादी संख्या एक से पांच के नाम दर्ज हो गयी उसे हटाकर वादी के नाम दर्ज की जावे ।

4. यह कि वादी को वसीयत वाली जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर एवं उक्त संम्पूर्ण जमीन का बंटवारा करवाया जाकर मुझ वादी के हिस्से की जमीन को स्वतन्त्र रूप से मेरे नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप मे राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अंकन फरमायी जावे । वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण उक्त वाद की कलम संख्या एक मे वर्णित आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस नही करे और मुझ वादी को शांतिपूर्वक उक्त मेरे हिस्से व वसीयतवाली जमीन के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें ।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 1—7—2016 को उत्पनन हुआ जब प्रतिवादीगण ने जमीन में खड़ी मुझ वादी की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरतंर जारी है ।

6. अंत में निवेदन किया की वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित स्व० हीरा पिता भानाजी के हिस्से की मौजा बांसलिया एवं रेड़िया खेड़ी में स्थित हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे । उक्त वर्णित संम्पूर्ण भूमि का बंटवारा फरमाया जाकर मुझ वादी के हिस्से व स्व० हीराजी के हिस्से की संम्पूर्ण भूमि को स्वतन्त्र रूप से मुझ वादी के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज की जावे । वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमा पाबंद किया जावे कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की जमीन को किसी अन्य को रहन बेह बक्षीस द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे और मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे इसमे किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे । एवं यदि प्रतिवादी संख्या एक से पांच उक्त हीराजी के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को जो इनके नाम पर दर्ज हो गयी है किसी अन्य को विक्रय करने हेतु दस्तावेज उप पंजीयक मावली के समक्ष प्रस्तुत करे तो उप पंजीयक को पाबंद किया जावे कि वो पंजीयन नहीं करे एवं पटवारी पटवार हल्का बांसलिया उक्त भूमि का नामान्तरकरण ताफैसला वाद किसी अन्य के नाम पर नही खोले ।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 31 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 32 से 35 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नही करना चाहा।

8. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी जेता पिता धन्ना डांगी, पीडब्ल्यू 2 भगा पिता माना डांगी निवासी रेड बासंलिया तहसील मावली, पीडब्ल्यू 3 बाबुलाल पिता नानालाल डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली, पीडब्ल्यू 4 वेणीराम पिता सवा भील निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली, पीडब्ल्यू 5 प्रवीण कुमार कोठारी पिता करणसिंह कोठारी निवासी उदयपुर के शपथ पत्र पेश किए गए। गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी द्वारा दस्तावेज मौजा रेडियाखेडी की नकल जमाबन्दी सवंत 2049–52 प्रदर्श 1, मौजा रेडिया खेडी की नकल जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श 2, मौजा बांसलिया की नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श 3, मौजा बांसलिया की नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श 4, मौजा रेडियाखेडी की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श 5, मौजा बांसलिया के नामान्तरकरण संख्या 302 की नकल प्रदर्श 6, इच्छा पत्र दिनांक 16.07.98 असल नही होने से द्वितीयक साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति प्रदर्श 7ए पेश किए गए।

9. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रदर्श 1 मौजा रेडिया खेड़ी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2049–52 के खाता संख्या 19 पर दर्ज आराजी नम्बर 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 100, 101, 102, 103 किता 13 कुल रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा भूमि हीरा पिता भाना 1/3, रूपा, गोपा पिता उदा 1/3, दुदा पिता सखा 1/3 डांगी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 20 पर दर्ज आराजी नम्बर 96 रकबा 3 बिस्वा भूमि हीरा पिता भाना 1/6, रूपा, गोपा पिता उदा 1/6, दुदा पिता सखा 1/6 डांगी एवं शेष अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 21 पर दर्ज आराजी नम्बर 78 रकबा [illegible] बिस्वा भूमि हीरा पिता भाना 1/9,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

रूपा, गोपा पिता उदा 1/9, दुदा पिता सखा 1/9 डांगी एवं शेष अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। खाता संख्या 112 पर दर्ज आराजी नम्बर 61 रकबा 3 बिस्वा भूमि हीरा पिता भाना 1/3, रूपा, गोपा पिता उदा 1/3, दुदा पिता सखा 1/3 डांगी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 117 पर दर्ज आराजी नम्बर 60, 62 किता 2 रकबा 5 बिस्वा भूमि हीरा पिता भाना 2/3, रूपा, गोपा पिता उदा 1/6, दुदा पिता सखा 1/6 डांगी के नाम दर्ज है।

इसी प्रकार ग्राम बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060–63 के खाता संख्या 132 पर दर्ज आराजी नम्बर 999, 1000, 1001, 1016, 1023, 1075, 1076, 1093, 1113, 1144, 1184, 1191, 1195, 1199, 1250, 1269, 1300, 1308, 1310, 1322, 1323 किता 21 कुल रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि हीरा पिता भाना 1/3, रूपा, गोपा पिता उदा, जेता पिता धन्ना 1/3, दुदा पिता सखा 1/3 डांगी दर्ज है। विरासत के नोट के अनुसार हीरा पिता भाना के बजाय जेता पिता धन्ना 1/6, रूपा, गोपा पिता उदा 1/3, दुदा पिता सखा 1/2 डांगी दर्ज है। खाता संख्या 133 पर दर्ज आराजी नम्बर 1190 रकबा 4 बिस्वा भूमि रूपा, गोपा पिता उदा 2/54, जेता पिता धन्ना 1/54, हीरा पिता भाना 1/18, दूदा पिता सखा 1/18 एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 134 पर दर्ज आराजी नम्बर 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372 किता 15 कुल रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि रूपा, गोपा पिता उदा 2/54, जेता पिता धन्ना 1/54, हीरा पिता भाना 1/18, दूदा पिता सखा 1/18 एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। जमाबंदी में उक्त सभी आराजीयात का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम रेडिया खेड़ी की भूमि में वादी का नाम उदा की विरासत से दर्ज नही हुआ है जबकि ग्राम बांसलिया की भूमि में उदा की विरासत में वादी जेता का नाम अंकित किया गया है। कुछ आराजीयात में हीरा के निधन के पश्चात नामान्तरकरण पारित कर सभी खातेदारो के नाम दर्ज कर रखी है। ग्राम बांसलिया के नामान्तरकरण संख्या 302 का अवलोकन करने से जाहीर हुआ है की हीरा के नाम दर्ज भूमि विरासत से रूपा, गोपा पिता उदा एवं जेता पिता धन्ना एवं दुदा पिता सखा के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि हीरा द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि की वसीयत जेता के पक्ष में कर दी गई। उक्त नामान्तकरण विरासत के आधार पर पारित नही कर वसीयत के आधार पर पारित करना चाहिए था। वसीयत की कलम संख्या 2 के अनुसार वादी जेता को हीरा द्वारा गोद लिया गया था। यदि [illegible] को हीरा की सम्पत्ति वसीयत के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

पर दी जाती है तो उसके पश्चात वादी का अपने पिता या दादा की सम्पति में कोई हक अधिकार शेष नही रह जाता है। प्रकरण में राजस्व कर्मचारियो को वादग्रस्त भूमि में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित करते हुए हीरा की सम्पत्ति में वादी का नाम अंकित करना चाहिए तथा उदा सम्पत्ति में केवल मात्र रूपा एवं गोपा का नाम दर्ज करना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियो द्वारा ग्राम रेडिया खेड़ी की सम्पत्ति में उदा की सम्पति में तो केवल मात्र रूपा व गोपा का ही नाम अंकित किया गया है परन्तु हीरा की सम्पति में सभी का नाम अंकित कर दिया गया। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि ग्राम रेडिया खेड़ी की भूमि में उदा का विरासत का नामान्तरकरण पारित करते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा जेता को गोदपुत्र मानते हुए उदा की भूमि में नाम दर्ज नही किया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत की असल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नही कर केवल मात्र वसीयत की फोटोप्रति पेश की। वादी द्वारा असल प्रति पेश नही करने से वसीयत की फोटोप्रति को द्वितीयक साक्ष्य में प्रदर्श करवाया गया है। न्यायालय का मानना है कि जब खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयत कर अपने निधन के पश्चात अपनी भूमि के संबंध में किसका मालिकाना हक होगा। उसके पश्चात वसीयत की मूल प्रति नही मिलने से भी उसके हक अधिकार प्रभावित नही होते है। इस प्रकरण में भी मूल खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादी को गोद पुत्र मानते हुए अपने हक हिस्से की भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में कर दी गई। जो वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत की फोटोप्रति जिसे द्वितीयक साक्ष्य में प्रदर्श करवाया है एवं ग्राम रेडिया खेड़ी की भूमि में वादी के वास्तविक पिता की भूमि में विरासत से नाम अंकित नही होने साबित हो रहा है। ऐसे में भाना की सम्पति में हीरा का 1/3 हक हिस्सा निहित है। जिसके संबंध में हीरा द्वारा वादी को गोदपुत्र मानते हुए वादी के पक्ष में वसीयत कर दी गई। इसलिए हीरा की सम्पति का 1/3 हिस्सा वादी के नाम दर्ज किया जाना तथा ग्राम बांसलिया में उदा की सम्पति में दर्ज वादी का नाम हटाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

न्यायालय का यह भी अभिमत है कि ग्राम रेडियाखेड़ी की आराजी नम्बर 53, 60, 62 एवं ग्राम बांसलिया की आराजी नम्बर 1002, 1006 में भी घोषणा चाही गई है परन्तु वसीयत का अवलोकन करने पर जाहीर आया की उक्त आराजीयात का वर्णन वसीयत में नही है। जबकि वादी का सम्पूर्ण वाद केवल मात्र वसीयत के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर है। ऐसे में उक्त आराजीयात वसीयत में नही होने से इनमें घोषणा दिया जाना न्यायोचित नही पाया जाता है।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाये जाने से पूर्व ऑनलाईन हाल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। ग्राम रेड़ीया खेड़ी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की हाल ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 27 पर दर्ज आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 55, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 70, 71 किता 14 रकबा 2.7032 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/6 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है जबकि उक्त हिस्सा वसीयत के आधार पर वादी के नाम 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार खाता संख्या 95 पर दर्ज आराजी नम्बर 96 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/12 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है जबकि उक्त हिस्सा वसीयत के आधार पर वादी के नाम 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार खाता संख्या 96 पर दर्ज आराजी नम्बर 78 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/18 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है जबकि उक्त हिस्सा वसीयत के आधार पर वादी के नाम 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/9 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार ग्राम बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की हाल ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 150 पर दर्ज आराजी नम्बर 1001, 1023, 1075, 1076, 1093, 1113, 1144, 1250, 1269, 1300, 1308, 1310, 1322, 1323, 999 किता 15 रकबा 1.3920 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/6 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है जबकि उक्त हिस्सा वसीयत के आधार पर वादी के नाम 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार खाता संख्या 149 पर दर्ज आराजी नम्बर 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372 किता 15 कुल रकबा 4.2896 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/36 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है जबकि उक्त हिस्सा वसीयत के आधार पर वादी के नाम 1/18 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/18 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार खाता संख्या 147 पर दर्ज आराजी नम्बर 1184, 1191, 1195, 1199 किता 4 कुल रकबा 0.7688 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 7/114 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है जबकि उक्त हिस्सा वसीयत के आधार पर वादी के नाम 13/57 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। ऐसे में वादी का नाम उदा की सम्पत्ति में से हटाया जाकर वसीयत/गोद के आधार पर केवल मात्र हीरा के नाम दर्ज भूमि में उपरोक्त हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम रेड़ीया खेड़ी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की हाल ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 27 पर दर्ज आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 55, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 70, 71 किता 14 रकबा 2.7032 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/6 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/3 — 1/3 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 95 पर दर्ज आराजी नम्बर 96 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/12 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/6 — 1/6 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 96 पर दर्ज आराजी नम्बर 78 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/18 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/9 — 1/9 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार ग्राम बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की हाल ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 150 पर दर्ज आराजी नम्बर 1001, 1023, 1075, 1076, 1093, 1113, 1144, 1250, 1269, 1300, 1308, 1310, 1322, 1323, 999 किता 15 रकबा 1.3920 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/6 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 149 पर दर्ज आराजी नम्बर 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372 किता 15 कुल रकबा 4.2896 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/36 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/18 – 1/18 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 147 पर दर्ज आराजी नम्बर 1184, 1191, 1195, 1199 किता 4 कुल रकबा 0.7688 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 7/114 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 13/57 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/3 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. जेता पिता धन्नाजी जाति डांगी आयु 50 वर्ष निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

...........वादीया

बनाम

1. मांगीलाल पिता रूपाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. खरता पिता रूपाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर ((राज०)
3. श्रीमती सोवनी बेवा रूपाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. गोपा पिता उदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. दुदा पिता सखाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. भंवरलाल पिता देवाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती वरदी पत्नी देवाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती देउ पुत्री देवाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
9. श्रीमती कमला पुत्री देवाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. भेरा पिता मोतीजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. रूपा पिता जगाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. कालू पिता जगाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
13. पेमा पिता जगाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
14. लोगर पिता वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
15. श्रीमती रूकमा पुत्री वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
16. श्रीमती मोवनी पुत्री वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

17. श्रीमती भगी पुत्री वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील (मावली जिला उदयपुर (राज०)
18. श्रीमती गंगा पत्नी वरदाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
19. खेमराज पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
20. हुक्मीचन्द पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
21. छगनलाल पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
22. दीपलाल पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
23. लहरीलाल पिता कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
24. श्रीमती रोड़ीबाई पत्नी कुकाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
25. श्रीमती धापू पत्नी नानाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
26. रामा पिता कन्नाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
27. अमरचन्द पिता कन्नाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
28. हेमराज पिता कन्नाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड बांसलिया तहसील – मावली जिला उदयपुर (राज०)
29. श्रीमती कुकी पुत्री कन्नाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
30. नाना पिता तारूजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया तहसील मावली उदयपुर (राज०)
31. श्रीमती भूरीबाई पत्नी नानाजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी रेड़ बांसलिया न मावली जिला उदयपुर (राज०)
32. तहसीलदार, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
33. पटवारी, पटवार हल्का बड़ियार तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
34. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मावली जिला उदयपुर (राज०)
35. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न0 : 188/16 (वाद) GCMS No. – 2016/00281</u>

यह मुकद्दमा आज वास्ते [illegible] रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम रेड़ीया खेड़ी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की हाल ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 27 पर दर्ज आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 55, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 70, 71 किता 14 रकबा 2.7032 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/6 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 95 पर दर्ज आराजी नम्बर 96 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/12 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 96 पर दर्ज आराजी नम्बर 78 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/18 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/9 – 1/9 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार ग्राम बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की हाल ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 150 पर दर्ज आराजी नम्बर 1001, 1023, 1075, 1076, 1093, 1113, 1144, 1250, 1269, 1300, 1308, 1310, 1322, 1323, 999 किता 15 रकबा 1.3920 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/6 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 149 पर दर्ज आराजी नम्बर 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372 किता 15 कुल रकबा 4.2896 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 1/36 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/18 – 1/18 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार खाता संख्या 147 पर दर्ज आराजी नम्बर 1184, 1191, 1195, 1199 किता 4 कुल रकबा 0.7688 हैक्टेयर भूमि वादी जेता पुत्र धन्ना के नाम 7/114 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 दुदा पिता सखा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 13/57 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/3 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested